

तारीख  
हस्ताक्षर

हुकम या कार्यवाही का इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

9-5-10-2)

पत्रावली प्रशासन गाँवों के सेग अभियान केम्प भद्रवानपुर।  
में पेश हुई, विपक्षीयों के सम्मन बाद शामिल हो कर प्राप्त  
हुए एवं नाथ बर वट्टरीलफर गोड्डल से मौका रिपोर्ट पेश  
हुई जिले शाह पठ किया गया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र  
परीक्षा किया जाकर निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर  
शाह पठ किया गया, पत्रावली फॉयल शुमार होकर  
बम्बर से कम हो गई।

195  
विपक्षीयों  
वापसी के  
युक्त  
[Signature]

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी पाण्डल  
प्रशासन गाँवों के सेग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

कदम संख्या :- 14/21 प्र. पत्र

श्री गोपाल शर्मा श्री गोकुलानन्द (मौज) निवासी- गगवानपुरा तहसील मांडल प्राची

बनाम

श्री अशोक शर्मा श्री गगवान पंवार निवासी- गगवानपुरा तहसील मांडल (कौशा) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

(पृष्ठांकित प्र. पत्र  
एतद्वारा)

::आदेश::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
दिया कि ग्राम.....गगवानपुरा.....पटवार हल्का.....गगवानपुरा.....तहसील मांडल/में उसके  
संयुक्त खातों की आराजी नं.....16/1.....कुल किता .....01.....  
.....0.5691.....हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी  
विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते  
संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....22.10.21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
निकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का  
कार्य है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश  
इतथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
प्रक्रिया के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....गगवानपुरा.....  
हल्का.....गगवानपुरा.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....16/1.....  
.....कुल किता .....01.....रकबा.....0.5691.....हेक्टेयर.....

के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।  
गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....गगवानपुरा.....को .....400/-...../  
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।  
इनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नियम :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की  
रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021